




अस्थाई विदेशी कामगार

- आपके अधिकार सुरक्षित हैं



कॅनेडा में स्वागत है!

कॅनेडा मानव अधिकारों का समर्थक है, दोनों ही, घर में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर। कॅनेडा में अस्थाई विदेशी कामगार के रूप में आपके बित्ताए समय के दौरान आपके अधिकारों के बारे में आपको जानकारी देने के उद्देश्य से इस पुस्तिका की रचना की गई है।

कॅनेडा का कानून कॅनेडा में सभी कामगारों की सुरक्षा करता है, जिसमें अस्थाई विदेशी कामगार भी सम्मिलित हैं। विदेशी कामगार का शोषण, कॅनेडा के कानून और मानव अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

आपका नियोक्ता –

- आपके काम के लिये वेतन देना आवश्यक है (जिसमें ओवर-टाइम, जहां जरूरी हो, सम्मिलित है);
- कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है;
- विराम और छुट्टियों के लिये उचित समय देना आवश्यक है;
- जिस काम के लिये आपको नौकरी पर नहीं रखा गया था या आप प्रशिक्षित नहीं हैं वह काम करने के लिये आप पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता;
- आपका पासपोर्ट या वर्क परमिट आपसे दूर नहीं कर सकता; और
- कॅनेडा से आपको डिपोर्ट करने की या आपके इमिग्रेशन की स्थिति को बदल देने की धमकी नहीं दे सकता।

कॅनेडा में, अधिकतर पेशों में नौकरियां, प्रान्तीय या प्रादेशिक कानूनों के अन्तर्गत सुरक्षित होती हैं। प्रत्येक प्रान्त और प्रदेश का अपना अपना कार्यालय होता है जो श्रमिक और नौकरी के कानून के मामलों की देखभाल करता है। आपके स्थानीय ऐम्प्लॉयमेंट या लेबर स्टैंडर्ड्स ऑफिस का कोई भी व्यक्ति आपसे उचित वेतन, काम के घण्टों, विश्राम अवधि, काम की परिस्थितियों और स्वीकार-योग्य नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में बातचीत कर सकता है, और अन्य सेवाएं भी प्रदान कर सकता है।

कॅनेडा सरकार, कामगार शोषण के सभी आचरणों की निंदा करती है, जिसमें सम्मिलित है अवैध मानव व्यापार। अवैध मानव व्यापार, श्रमिक और लैंगिक शोषण की पराकाष्ठा का तीव्र प्रकार है, और एक गंभीर अपराध, जिसकी सजा कठोर दण्ड है, जिसमें कारावास भी सम्मिलित है। अधिक जानकारी के लिये इस पुस्तिका के पीछे की ओर देखें।

कुछ पेशे, फ़ैडरल सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, और ऐम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स कॅनेडा लेबर कोड के अन्तर्गत आते हैं। फ़ैडरल सरकार द्वारा नियंत्रित कार्यक्षेत्रों की सूची के लिये, कृपया इस पुस्तिका के अन्त में दी गई वैब-साइट देखें।

ऐम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स से संबंधित सभी मामलों की अधिक जानकारी, जैसे कि आपका करार (कॉन्ट्रैक्ट), काम के घण्टे, न्यूनतम वेतन, नौकरी की समाप्ति या कुछ लाभों के लिये योग्यता के लिये, कृपया प्रान्तीय या प्रादेशिक ऐम्प्लॉयमेंट या लेबर स्टैंडर्ड्स ऑफिस या फ़ैडरल लेबर प्रोग्राम से सम्पर्क करें।

सम्पर्क जानकारी और वैब-साइट के पते, इस पुस्तिका के अन्त में उपलब्ध हैं।

इन ऑफिसों को फोन करने या उनकी वैब-साइटें देखने के लिये आपको अपने नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इन सेवाओं का उपयोग करने पर वे आपको सजा नहीं दे सकते या आपको डिपोर्ट नहीं करवा सकते।

नौकरी के करार (ऐम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स)

अस्थाई विदेशी कामगारों को, उन पेशों के लिये नौकरी में रखे जाने पर जिनके लिये निम्न स्तरों के औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अपनी सुरक्षा के लिये अपने नियोक्ता के साथ ऐम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। यह भी उपयुक्त है, लेकिन आवश्यक नहीं कि, उच्चतर निपुणता वाले अस्थाई विदेशी कामगार अपना काम शुरू करने से पहले अपने नियोक्ता के साथ ऐम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करें। आप और आपके नियोक्ता, दोनों के लिये करार की शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें इनका सम्मिलित होना आवश्यक है –

- आपका वेतन और आपके वेतन से कटौतियां;
- आपके काम की जिम्मेदारियों का विवरण; और
- नौकरी की शर्तें।

आपके करार में “नौकरी की शर्तों” के भाग में यह दर्शाना आवश्यक है कि आप हर सप्ताह अधिकतम कितने घण्टे काम करेंगे और यदि आप ओवर-टाइम काम करें तो आपको कितनी अदायगी की जाएगी। जहां आप काम कर रहे हैं उस प्रान्त या प्रदेश पर निर्भर करते हुए काम के घण्टों और ओवर-टाइम (अतिरिक्त समय या नियमित घण्टों के बाद किये काम का समय) को नियंत्रित करने वाले कानून भिन्न हो सकते हैं। अधिकतर मामलों में, उसे ओवर-टाइम सहित प्रति सप्ताह 48 घण्टों से अधिक नहीं होना चाहिये।

हस्ताक्षरित करार की एक प्रतिलिपि आपको अपने पास रखनी चाहिये। यदि भविष्य में, आप और आपके नियोक्ता के बीच काम के विवरण जैसे कि काम की जिम्मेदारियों, वेतन या काम की परिस्थितियों को लेकर असहमति होती है तो, यह करार मामलों को सुलझाने में आपकी सहायता कर सकता है और उपयुक्त प्रान्तीय या फ़ैडरल न्यायालय में विवाद निवारण में काम आ सकता है। एक बार कॅनेडा में आ जाने के बाद, आपको कोई ऐसे दूसरे करार पर हस्ताक्षर करने के लिये सहमत नहीं होना चाहिये जिसकी शर्तें और प्रतिबन्ध आपके पक्ष में कम हों जब तक कि उसकी कोई यथोचित प्रामाणिकता ना हो।

करार में वेतन से कटौतियों की जानकारी भी होनी चाहिये (उदाहरण के लिये, कॅनेडा पेंशन प्लान और ऐमप्लॉयमेंट इनश्योरेंस बैनिफिट्स की अदायगी की किशतें)।

नियोक्ता, जो ऐसे अस्थाई विदेशी कामगारों को उन पेशों के लिये नौकरी देते हैं जिनके लिये निम्न स्तरों के औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उनके लिये निम्नलिखित अदायगी या प्रदान करना आवश्यक होगा – कॅनेडा आने-जाने के लिये कामगार का खर्च; प्राइवेट हैल्थ इनश्योरेंस जब तक कि कामगार प्रान्तीय या प्रादेशिक हैल्थ केअर के योग्य न हो जाए; और निवास (जहां लागू होता हो)। निवास का अधिक विवरण आपको इस पुस्तिका के अकॅमोडेशन (निवास) भाग में मिल सकता है।

नियोक्ता बदलना

सभी अस्थाई विदेशी कामगारों को अपने नियोक्ता बदलने की अनुमति है, और आपको काम की दूसरी जगह ढूँढने के लिये दण्डित या डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। नैशनल जॉब बैंक या वर्किंग इन कॅनेडा वैब-साइट्स आपको नई नौकरी ढूँढने में सहायता कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिये, इस पुस्तिका के अन्त में सूचित वैब-साइटें देखें।

कई मामलों में, आपको अस्थाई विदेशी कामगार की तरह नौकरी देने के लिये आपके नये नियोक्ता को अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा करने के लिये, हो सकता है कि नियोक्ता को पहले ह्यूमन रिसोर्स ऐण्ड स्किल्स डैवलपमेंट कॅनेडा (एच.आर.डी.सी.)/सर्विस कॅनेडा को लेबर मार्केट ओपीनियन या एल.एम.ओ. के लिये आवेदन देना पड़ सकता है। यदि एच.आर.डी.सी./सर्विस कॅनेडा नियोक्ता को सकारात्मक एल.एम.ओ. प्रदान करे, तो उन्हें आपको नौकरी देने की अनुमति मिल सकती है।

यदि आपके पास ओपन वर्क परमिट ना हो, तो आपको एक नये वर्क परमिट के लिये आवेदन भी देना पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपने नये नियोक्ता से सकारात्मक एल.एम.ओ. पत्र और संलग्न दस्तावेज की मांग करते हैं। एक बार आपको ये दस्तावेज मिल जाएं, तो फिर आप सिटिज़नशिप ऐण्ड इमिग्रेशन कॅनेडा (सी.आई.सी.) को नये वर्क परमिट को लिये आवेदन दे सकते हैं।

कुछ मामलों में, आपको नये नियोक्ता के साथ भी एमप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना पड़ सकता है।

यदि आपकी नौकरी छूट जाती है तो

अधिकतर मामलों में, आपके नियोक्ता के लिये आवश्यक है कि वह आपको आपका काम छोड़ने के लिये कहने से पहले आपको नोटिस और समाप्ति वेतन दे। हालांकि “उचित कारण” से आपको नौकरी से निकालने के लिये आपके नियोक्ता को आपको चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है (उदाहरण के लिये, गंभीर दुर्घटिवहार या बिना ठीक कारण के काम पर न आना)।

यदि आपका एमप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी निर्धारित अवधि या निर्धारित काम के लिये है तो, आपके करार की समाप्ति पर आपके नियोक्ता के लिये आवश्यक नहीं होगा कि वह आपको नोटिस दे।

जहां आप काम कर रहे हैं उस प्रान्त या प्रदेश पर निर्भर करते हुए नौकरी समाप्ति की नोटिस के बारे में कानून भिन्न भिन्न हो सकते हैं।

आपको नौकरी से निकालते समय यदि आपका नियोक्ता कानून का पालन नहीं करता है तो आप प्रान्तीय या प्रादेशिक एमप्लॉयमेंट या लेबर स्टैंडर्ड्स ऑफिस या फ़ैडरल लेबर प्रोग्राम ऑफिस से शिकायत कर सकते हैं।

यदि आप यूनियन के करार से सुरक्षित हैं, तो आपको यूनियन के व्दारा औपचारिक शिकायत करनी पड़ सकती है।

निवास

आपके लिये निवास प्रदान करना आपके नियोक्ता के लिये आवश्यक नहीं है, यदि –

- सीज़नल ऐग्रीकल्चरल वर्कर प्रोग्राम (एस.ए.डबल्यू.पी.) या ऐग्रीकल्चरल स्ट्रीम के अन्तर्गत आपको अस्थाई फार्म वर्कर के तौर पर आपको नौकरी नहीं दी गई है तो; या
- लिव-इन केअर-गिवर प्रोग्राम (एल.सी.पी.) के अन्तर्गत आपको लिव-इन केअर-गिवर के तौर पर आपको नौकरी नहीं दी गई है तो।

ऐग्रीकल्चरल स्ट्रीम और एल.सी.पी. के अन्तर्गत, आपका नियोक्ता निवास के लिये आपके वेतन में से कुछ कटौती कर सकता है। एस.ए.डबल्यू.पी. के अन्तर्गत, केवल ब्रिटिश कोलम्बिया के नियोक्ता ही निवास के लिये आपके वेतन में से कुछ कटौती कर सकते हैं। अन्य अधिकतर प्रान्तों और प्रदेशों में, भोजन और आवास के लिये लिया जाने वाला दाम एक अधिकतम रकम तक सीमित होता है, जो आपके करार में दर्शाया जाना चाहिये।

नोट – नौकरी के दौरान किसी भी समय, आपके नियोक्ता द्वारा दिये गये आवास को आप कभी भी छोड़ कर किसी व्यक्तिगत आवास में जा सकते हैं। यदि आपको लिव-इन केअर-गिवर प्रोग्राम के अन्तर्गत लिव-इन केअर-गिवर के तौर पर नौकरी दी गई है तो, आप अपने नियोक्ता द्वारा दिये गये आवास को छोड़ सकते हैं जब आप अपना नियोक्ता बदलें या अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के कारण से।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ऑक्यूपेशनल हैल्थ ऐण्ड सेफ्टी)

सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्यस्थल का अधिकार कॅनेडा में सभी कामगारों को है। काम की असुरक्षित परिस्थितियों से कामगारों को बचाने के लिये यहां कुछ कानून हैं।

प्रान्तीय, प्रादेशिक और फ़ैडरल सरकारों में से प्रत्येक के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों की जांच-पड़ताल करने के अपने अपने कानून और तरीके हैं।

अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों और शिकायत पध्दति की अधिक जानकारी के लिये, या असुरक्षित कार्यस्थल या चोट की रिपोर्ट करने के लिये, अपने प्रान्तीय या प्रादेशिक ऑक्यूपेशनल हैल्थ ऐण्ड सेफ्टी ऑफिस या फ़ैडरल लेबर प्रोग्राम रीजनल ऑफिस से सम्पर्क करें। सम्पर्क जानकारी इस पुस्तिका के अन्त में दी गई है।

क्या आपका काम सुरक्षा-पूर्ण है?

अपने आप से प्रश्न पूछें जैसे कि –

- जो काम मैं कर रहा हूँ और जिन मशीनों या उपकरणों का उपयोग कर रहा हूँ, क्या उसके लिये मुझे उचित प्रशिक्षण प्राप्त है?
- काम करने के लिये क्या मेरे पास सही सुरक्षा उपकरण है?
- जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तब क्या मैं असुरक्षित या भयभीत महसूस करता हूँ?
- क्या मैं खतरनाक सामग्री के पास काम करता हूँ?

खतरनाक काम के लिये मना करना

खतरनाक काम के लिये मना करने का अधिकार आपको है यदि आपको विश्वास है कि आप जो काम कर रहे हैं या आपसे करने के लिये कहा जा रहा है वह खतरनाक है और ऐसे काम की जिम्मेदारियाँ निभाने या मशीनों को चलाने के लिये आपके पास आवश्यक प्रशिक्षण नहीं है।

आपका नियोक्ता, खतरनाक काम के लिये मना करने पर आपको दण्डित नहीं कर सकता और आपको तब तक वेतन देते रहना आवश्यक है जब तक

- खतरा दूर ना कर दिया जाय;
- आपको आवश्यक प्रशिक्षण न मिल जाय और काम के लिये तैयार न हो जाएं;
- महसूस ना करें कि समस्या अब नहीं रही; या
- सरकारी अफसर आपसे कह ना दे कि अब काम करना सुरक्षित है।

यदि आपको काम पर चोट लग जाय तो

कई प्रान्त और प्रदेश कामगारों को क्षतिपूर्क लाभ (वर्कर्स कम्पनसेशन बेंनिफिट्स) प्रदान करते हैं। वर्कर्स कम्पनसेशन, आपको सहायता (मेडिकल या वेतन के लाभ) प्रदान करता है यदि आपको काम पर चोट लग जाती है या अपने काम के कारण आप बीमार हो जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि कामगार चोट लगने पर लाभ प्राप्त सकते हैं, आपके नियोक्ता को प्रान्तीय या प्रादेशिक वर्कप्लेस सेप्टी इनश्योरेंस के साथ रजिस्टर होना आवश्यक होगा।

आपके नियोक्ता को आपके वेतन से वर्कप्लेस सेफ्टी इन्श्योरेंस प्लान के लिये पैसे नहीं काटने चाहिये। वर्कर्स कम्पनसेशन बैनिफिट्स की अधिक जानकारी के लिये, प्रान्तीय या प्रादेशिक वर्कर्स कम्पनसेशन बोर्ड्स से सम्पर्क स्थापित करें।

उनकी सम्पर्क जानकारी प्राप्त करने के लिये, इस पुस्तिका के अन्त में वैब-साइट पते देखें।

नोट – यदि आपके काम पर दुर्घटना होती है, तो अपने सुपरवाइज़र से तुरन्त बात करें और उसी समय डॉक्टर से मिलें यदि आपको लगता है कि आपको डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता है।

अवैध मानव व्यापार – एक गंभीर अपराध

अवैध मानव व्यापार करने वाले, किसी व्यक्ति के श्रम या सेवाओं का शोषण करने के उद्देश्य से उसे भर्ती करते हैं, उसका परिवहन करते हैं, उसे आश्रय देते हैं या उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। शिकार व्यक्ति, शारीरिक, लैंगिक या भावात्मक दुर्व्यवहार के कष्ट भुगतता है और अक्सर भयंकर स्थितियों में रहता और काम करता है।

यदि आपको विश्वास है कि आप अवैध मानव व्यापार के शिकार हैं, या किसी ऐसे को जानते हैं जो है, तो कृपया नीचे के अंश पढ़ें। अवैध मानव व्यापार एक गंभीर अपराध है, और आप कॅनेडियन कानून के अन्तर्गत सुरक्षित हैं।

क्या आप अवैध मानव व्यापार के शिकार हैं?

आप अवैध मानव व्यापार के शिकार हो सकते हैं यदि आप इन में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर “हां” में देते हैं तो –

- अपने कार्यस्थल या अपने आवास से अपनी मर्जी से बाहर जाने के लिये आप पर कोई प्रतिबन्ध है?
- क्या किसी ने आपका पासपोर्ट या वर्क परमिट आपसे ले लिया है?
- क्या आपके नियोक्ता – या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी ने आपके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावात्मक दुर्व्यवहार किया है या ऐसा आपके साथ होने दिया है?
- क्या आपके नियोक्ता या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी ने आपको या आपके पारिवारिक सदस्य को धमकी दी है?
- क्या आपको डर है कि यदि आप अपना काम छोड़ते हैं तो आपके या आपके पारिवारिक सदस्य के साथ कुछ बुरा होगा?

यदि आप सोचते हैं कि आप अवैध मानव व्यापार के शिकार हैं या आपको अवैध मानव व्यापार के बारे में शक है या जान है तो कृपया अपनी स्थानीय पुलिस से 911 पर सम्पर्क करें, या यदि आप गुमनाम रहना चाहते हैं तो, अपने स्थानीय क्राइम स्टॉपर प्रोग्राम को 1-800-22-8477 पर फोन करें।

अवैध मानव व्यापार करने वाले की पहचान आप कैसे कर सकते हैं?

ध्यान रखें कि अवैध मानव व्यापार करने वाले अपने शिकार को कई तरह से बहकाते और नियंत्रित करते हैं, जैसे कि –

- भावी नौकरी, यात्रा, रहने की परिस्थितियों या उपचार के बारे में शिकार से झूठ बोलकर;
- सही इमिग्रेशन और यात्रा के कागजातों का वचन देकर;
- ऐसे प्रस्ताव देकर जो इतने अच्छे हों कि सच नहीं हो सकते;
- शिकार या उसके पारिवारिक सदस्य को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर;
- शिकार को आपराधिक गतिविधियों में उलझाकर;
- शिकार को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका कार्यस्थल बार बार बदलकर या उन्हें वेश्यावृत्ति के लिये विवश करके; और
- शिकार को सिखा पढ़ाकर कि अफसरों को किस तरह गुमराह करना चाहिये।

अवैध मानव व्यापार के शिकार के लिये सुरक्षा और सहायता

सी.आई.सी., अवैध मानव व्यापार के शिकार की सुरक्षा उनकी इमिग्रेशन की स्थिति को एक विशेष अस्थाई निवास परमिट (टैम्पोररी रैसिडेंट परमिट - टी.आर.पी.) देकर सुनिश्चित करती है। प्राथमिक टी.आर.पी. 180 दिनों तक के लिये जारी किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करते हुए उसे 180-दिन की अवधि के अन्त में दुबारा जारी किया जा सकता है।

अवैध मानव व्यापार के शिकार जिन्हें टी.आर.पी. मिलता है, वे इन्टरिम फ़ैडरल हैल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने योग्य होते हैं और वे ओपन वर्क परमिट के लिये आवेदन दे सकते हैं। टी.आर.पी. की अधिक जानकारी के लिये इस पुस्तिका के अन्त सूचित वैब-साइट देखें।

नोट – कॅनेडा में, अवैध मानव व्यापार के शिकार को अस्थाई या स्थाई निवास का दर्जा प्राप्त करने के लिये अपने अवैध मानव व्यापारी के खिलाफ गवाही देने की आवश्यकता नहीं होती है। अवैध मानव व्यापार के शिकार को प्राथमिक टी.आर.पी. या वर्क परमिट के लिये कोई फी नहीं देनी पड़ती।

टी.आर.पी. के आवेदन स्थानीय सी.आई.सी. के ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से जमा करना आवश्यक होता है। निकटतम सी.आई.सी. के ऑफिस की अधिक जानकारी के लिये, टोल-फ्री नम्बर **1-888-242-2100** पर फोन करें (केवल कॅनेडा के अन्दर से)।

जानकारी और संसाधन

कॅनेडा में काम करने और आपके अधिकारों की अधिक जानकारी के लिये, कृपया निम्नलिखित सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क करें या निकटतम सर्विस कॅनेडा सैंटर से सम्पर्क करें। कृपया नोट करें कि निम्नलिखित वैब-साइटें देखने के लिये आपको अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इन सेवाओं का उपयोग करने पर आपका नियोक्ता आपको दण्डित या डिपोर्ट नहीं कर सकता।

- ह्यूमन रिसोर्सिस ऐण्ड स्किल्स डैवलपमेंट कॅनेडा – टैम्पोररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/workers.shtml
- सर्विस कॅनेडा
www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/hrcc.shtml
- सिटिज़नशिप ऐण्ड इमिग्रेशन कॅनेडा
www.cic.gc.ca/english/work/index.asp
- टैम्पोररी रैसिडेन्ट परमिट (टी.आर.पी.)
<http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/trp.asp>
- कॅनेडा बॉर्डर सर्विसिस एजन्सी
www.cbsa.gc.ca
- ह्यूमन रिसोर्सिस ऐण्ड स्किल्स डैवलपमेंट कॅनेडा – फ़ेडरल लेबर प्रोग्राम
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/contact_us/contact_us.shtml
- फ़ेडरली रैग्युलेटेड वर्कप्लेसिस
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/regulated.shtml
- प्रान्तीय और प्रादेशिक लेबर मंत्रालयों की सूची
www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/ministries.shtml
- प्रान्तीय और प्रादेशिक वर्कर्स कम्पनसेशन बोर्ड्स की सूची
www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/workers_compensation/wcb.shtml

- प्रान्तीय और प्रादेशिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऐण्ड सेफ्टी ऑफिसेस
<http://www.ccohs.ca/oshanswers/information/govt.html>
- ऐमप्लॉयमेंट इनश्योरेंस की योग्यता के बारे में जानकारी
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/ei_tfw/ceie_tfw.shtml
- कॅनेडा पेंशन प्लान के बारे में जानकारी
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/ei_tfw/cpp.shtml
- नैशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन
www5.hrsdc.gc.ca/NOC/English/NOC/2006/Welcome.aspx
- वर्किंग इन कॅनेडा
www.workingincanada.gc.ca
- जॉब बैंक
www.jobbank.gc.ca

फ़ेडरल लेबर प्रोग्राम के बारे में प्रतिनिधि से बातचीत करने के लिये,
1-800-641-4049 पर फोन करें।

सरकारी सेवाओं की सामान्य जानकारी के लिये, 1-800-O-Canada
(1-800-622-6232) पर फोन करें।

आप यह प्रकाशन यहां सम्पर्क करके प्राप्त कर सकते हैं –

पब्लिकेशन सर्विसेस

ह्यूमन रिसोर्सिस ऐण्ड स्किल्स डैवलपमेंट कॅनेडा

140 प्रॉमनाद यू पोर्ताज

पोर्ताज 4, 10 वीं मंजिल

गैटीनो, क्यूबैक के1ए 0जे9

फैक्स – 819-953-7260

ऑन-लाइन – <http://www12.hrsdc.gc.ca>

यह दस्तावेज मांगे जाने पर बहु-रूपी प्रकारों में उपलब्ध है (मोटे अक्षर, ब्रेल, ऑडिओ कॅसेट, ऑडिओ सी.डी., ई-टैक्स्ट डिस्कैट, ई-टैक्स्ट सी.डी., या डेज़ी), 1-800-O-Canada (1-800-622-6232) से सम्पर्क करके। यदि आप टैलेटाइपराईटर (टी.टी.वाय.) का उपयोग करते हैं, तो फोन करें 1-800-926-9105 पर।

© हर मैजेस्टी द क्वीन इन राइट ऑफ कॅनेडा, 2012

Dept Cat no: WP-179-02-12Hi

पी.डी.एफ.

कैट. न. – HS18-30/2012Hi-PDF

आई.एस.बी.एन. – 978-0-662-03660-9

दुबारा छापने के अधिकारों के बारे में जानकारी के लिये, कृपया पब्लिक वर्क्स ऐण्ड गवर्नमेंट सर्विसेस कॅनेडा से

613-996-6886 या droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca पर सम्पर्क करें।